

बिहार सरकार  
परिवहन विभाग

सं०-०५स्था-९५/२०१२ (खंड)

पटना, दिनांक

अधिसूचना

जिला पदाधिकारी खगड़िया से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में मोटर वाहन अधिनियम १९८८ की धारा २१३ (१) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री मनोज कुमार, वरीय उप समाहर्ता, खगड़िया को, जिला परिवहन पदाधिकारी, का पदभार दिनांक २६.१०.२०१२ के अपराहन से ग्रहण करने के फलस्वरूप अगले आदेश तक मोटर वाहन अधिनियम/बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम १९९४ में निहित सुसंगत धाराओं के अधीन शक्ति प्रदत्त करते हुए अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला परिवहन पदाधिकारी, खगड़िया के कार्य सम्पादन हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

प्रधान सचिव,  
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक

4547

दिनांक 9/11/2012

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग पटना, राजकीय राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित/ महालेखाकार, बिहार, पटना / प्रमंडलीय आयुक्त, मुंगेर/ जिला पदाधिकारी, खगड़िया / श्री मनोज कुमार, वरीय उप समाहर्ता-सह- जिला परिवहन पदाधिकारी, खगड़िया / तंत्र्युक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर/ मोटरयान निरीक्षक, खगड़िया / माननीय मंत्री परिवहन के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव-सह-राज्य परिवहन आयुक्त के आप्त सचिव/ सभी विभागीय पदाधिकारी/ स्थापना शाखा/ आई.टी. मैनेजर, परिवहन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

असहमत 9/11/12

प्रधान सचिव,  
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।